अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884,
ई-मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (40) पंरावि/पीसी/एसएफसी (बांध)/2014/1565 जयपुर, दिनांक : 13.6.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद–समस्त।

विषय :– पंचायती राज के अंतर्गत तालाबों के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1346 दि. 23.05.2017 एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक 415 दि. 9.06.2017

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के क्रम में 300 हैक्टेयर क्षमता तक के तालाब जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये हैं। उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जल संसाधन विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए एवं राज्य मे जल भराव/बाढ की सम्भावना को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु उचित प्रबंधन करने के निर्देश प्रदान किये है।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि :–

1. जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियो/कर्मचारियो को आवश्यक रखरखाव, सुरक्षात्मक उपाय के उचित प्रबंधन हेतु निर्देशित करने एवं कार्य स्वीकृत डिजाइन के अनुसार कराने का श्रम करावें।
2. अधिकार क्षेत्र में आ रहे सभी वाटर बाडीज के गेटस व बीयरिंग की जांच सुनिश्चित करावें एवं यह सुनिश्चित करें कि ये वर्तमान में कार्यअवस्था में रहें।
3. वर्तमान मे प्रगतिरत कार्यो का निर्माण कार्य का स्तर/प्रगति इस प्रकार रखी जावे कि वर्षा काल मे इन परिसम्पातियो/कार्यो को कोई नुकसान न पहुंचे ।
4. गत मानसून में करवाये गए बाहरी खुदाई कार्यो को भरवाना सुनिश्चित किया जावे।
5. यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिकार क्षेत्र में आ रहे सभी वाटर बाडीज अच्छी अवस्था में रहें एवं मानसून के अंतर्गत किसी भी कार्य के कारण कोई क्षति न पहुंचे।
6. वाटर बाडीज की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाये।
7. पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व के भवनो की छत की सफाई सुनिश्चित करावे ताकि वर्षा का जल छत आदि पर संग्रहित न हो। साथ ही भवनो की नींव के पास पानी का भराव न हो, सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय
13/6/17
(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

D:\Desktop Data\S.Sharma\Letter 2016.doc

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जलसंसाधन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, अति0 सचिव, जलसंसाधन विभाग।
6. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. अधिशाषी अभियंता (सिंचाई), जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
9. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

13/6/17

अधिशाषी अभियन्ता (टी.सी.)